

न्यायालय कलेक्टर सागर जिला सागर

प्रकरण क. 06 अ/19(3) वर्ष 17-18
ग्राम नेतना प.ह.नं. 60
तहसील मालथौन जिला सागर

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग कमांक-01 सागर
जिला सागर (मोप्रो)
विरुद्ध
म.प्र.शासन

.....आवेदक
.....अनावेदक

:: आदेश ::

(पारित दिनांक 25/01/2018)

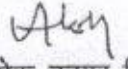
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कमांक- एक सागर ने पत्र कमांक-2910/कार्य/2017-18 सागर दिनांक 10.10.17 के द्वारा सागर जिले के मालथौन विकास खंड अन्तर्गत सेवन एवं नेतना जलाशय योजनाओं के डूब क्षेत्र में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम नेतना तहसील मालथौन की भूमि ख0नं0 107 रकवा 14.08 हे. भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाई जाने से उक्त भूमि में से 1.00 हे. सेवन जलाशय योजना, 2.50 हे. नेतना जलाशय योजना, 10.58 हे. मगरा जलाशय योजना कुल रकवा 14.08 हे. वन विभाग को हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित किया गया।

प्राप्त प्रस्ताव पर अनुविभागीय अधिकारी खुरई/नायब तहसीलदार बांदरी से प्रकरण तैयार कराया गया। नायब तहसीलदार बांदरी द्वारा प्रकरण कमांक-25 बी/121 वर्ष 17-18 ग्राम नेतना में इशतहार जारी कर आपत्तियां आमंत्रित करते हुए पटवारी प्रतिवेदन लेकर ग्राम की भौगोलिक जानकारी देते हुए एवं जल संसाधन विभाग के संसोधित पत्र कमांक-49 दिनांक 04.01.2018 के द्वारा ग्राम मगरा जलाशय योजना में वन भूमि डूब में आने के कारण बदले में भूमि की मांग नहीं की गई है। मात्र ग्राम सेवन जलाशय योजना में 2.21 हे. एवं नेतना जलाशय योजना में 2.50 हे. भूमि डूब में आने के कारण योजना में डूब में आई वन भूमि के बदले ग्राम नेतना प.ह.नं. 60 रा.नि.मं. बांदरी की शासकीय भूमि ख0नं0 107 रकवा 14.08 हे., मद चरनोई में से 4.71 हे. राजस्व भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित करने का निवेदन किया है। प्रस्तावित भूमि का राजस्व, वन एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा दिनांक 16.01.18 को संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया जाकर वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित की जाना प्रस्तावित किया गया। जिसकी अनुशंसा अनुविभागीय अधिकारी खुरई द्वारा की गई।

अतः अनुविभागीय अधिकारी खुरई एवं नायब तहसीलदार बांदरी के प्रस्ताव एवं जल संसाधन विभाग तथा वन विभाग की सहमति पर ग्राम नेतना तहसील मालथौन की निम्नानुसार भूमि :-

क्र.	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	ख.नं.	कुल रकवा (हे.में)	आरक्षित रकवा (हे. में)	मद
01	नेतना	60	107	14.08	4.71	चरनोई शासकीय

को म.प्र.भू.संहिता 1959 (यथा संशोधित 2011) की धारा 237(3) के तहत प्रस्तावित भूमि का मद परिवर्तन करते हुए सेवन एवं नेतना जलाशय योजनाओं के डूब क्षेत्र में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु म.प्र. शासन वन विभाग को आवंटित की जाती है। उक्त भूमि के आवंटन से ग्राम का आम निस्तार का रकवा अप्रभावित रहेगा। आवंटित भूमि का नियत प्रयोजन में उपयोग न होने पर पूर्ण अथवा आंशिक भूमि वापिस ली जा सकेगी।


(आलोक कुमार सिंह)
कलेक्टर
जिला-सागर

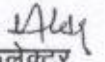
P.T.O

//2//

पृ०क०/१०६१/सी०कले०/२०१८
प्रतिलिपि:-

सागर दिनांक २५/०१/२०१८

1. वन मंडल अधिकारी उत्तर सागर वन मंडल सागर की ओर सूचनार्थ।
2. अनुविभागीय अधिकारी खुरई जिला सागर की ओर मूल प्रकरण सहित नायब तहसीलदार बांदरी तहसील मालथौन से आदेशानुसार अभिलेख दुरुस्त कराये जाने तथा संबंधित विभाग को आवंटित भूमि का अधिपत्य दिलाये जाने हेतु।
3. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कमांक-०१ सागर को सूचनार्थ।
4. तहसीलदार मालथौन जिला सागर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. नायब तहसीलदार बांदरी तहसील मालथौन जिला सागर को आदेशानुसार कार्यवाही हेतु।


कलेक्टर
जिला-सागर